BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 10 फरवारी 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 05 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास व 02 अभियुक्तो को 55,000-55,000/- तथा 03 अभियुक्तों को 60,000-60,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त1- मुल्ला जमील पुत्र मक्खन 2-बक्शा पुत्र नत्थन निवासीगण मौ0 रुकन सराय थाना कोतवाली नगर 3-माजिद पुत्र हनीफ निवासी मौ0 गद्दीयान अपर कोट थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर 4-मुल्ला फारुख पुत्र हसमुद्दीन निवासी बजरिया नरसल घाट थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर 5- तोसिफ पुत्र इस्लाम निवासी मौ0 निर्दगान अपर कोट थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2012 में एक व्यक्ति हामिद की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 19.12.2012 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 820/2012 धारा 148,149,302 भादवि पंजीकृत किया गया तथा बरमादगी के सम्बन्ध में अभियुक्त मुल्ला जमील के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 828/12 धारा 30 आर्म्स एक्ट, अभियुक्त बक्शा के विरुद्ध मुअसं-829/12 धारा 25 आर्म्स एक्ट, अभियुक्त माजिद के विरुद्ध 827/12 धारा 30 आर्म्स एक्ट, अभियुक्त मुल्ला फारुख के विरुद्ध 131/13 धारा 25 आर्म्स एक्ट तथा अभियुक्त तोसिफ के विरुद्ध 90/13 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा आरोप पत्र दिनांक 11.09.2013 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 10 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 10.02.2025 को न्यायाधीश श्री हरिकेश कुमार(मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1-मुल्ला जमील 2-माजिद को सश्रम आजीवन कारावास व 55,000-55,000/- रुपये तथा अभियुक्त 3-बक्शा 4-मुल्ला फारुख 5- तोसिफ को सश्रम आजीवन कारावास व 60,000-60,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री केशव देव शर्मा व श्री कुश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर